

विज्ञप्ति
विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुये एवं 30प्र0 मूल्य सम्बन्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 81 को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री गुप्ता इन्टरप्राइजेज, महोबा ,	फार्म-3ग(1) संख्या- 023576	रास्ते में कहीं गिर गये	01
2-	सर्वश्री माँ वैष्णो ट्रेडर्स, चरखारी (महोबा)	फार्म-3ग(1) संख्या- 023856	रास्ते में कहीं गिर गये	01
3-	सर्वश्री गोमती देवी ग्रामोद्योग संस्थान जी०टी०रोड, पड़ाव, चन्दौली ।	फार्म-3'ख' संख्या- 050435 एवं 268921	बैग रास्ते में गिर जाने के कारण	02
4-	सर्वश्री कमलेश कुमार एण्ड ब्रदर्स, जी०टी०रोड, सैदाबाद, इलाहाबाद ।	फार्म- 3ग(2) संख्या- 0521763, 0521764, 0521765 एवं 0521766	खोने के कारण	04
5-	सर्वश्री कमलेश कुमार एण्ड ब्रदर्स, जी०टी०रोड, सैदाबाद, इलाहाबाद ।	फार्म-3ग (1) संख्या- 161728, 161729 एवं 161730	खोने के कारण	03


(राजेंद्र प्रसाद)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

प्र०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, 30प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- महालेखाकार, 30प्र० 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 5- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

- 8- समस्त डिप्टी कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 10- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 12- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- 13- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ ।



(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।